

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/एल 1-20/2015-

/पटना, दिनांक :- / /2025

डा० अशोक कुमार सिंह, प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के द्वारा दिनांक-19.07.2024 से 19.08.2024 तक की अवधि में की गयी विदेश (U. K) यात्रा के लिये घटनोत्तर स्वीकृति/अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में डा० सिंह बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्रा करते हैं तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

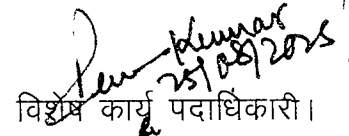
सं० सं०-17/एल 1-20/2015-968(17)/पटना, दिनांक :-25/08/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० अशोक कुमार सिंह, प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।